न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—09 / 2024

प्रार्थीगण :—

1. शंभूसिंह पुत्र विजयसिह
2. नारायणसिंह पुत्र विजयसिंह
3. हिम्मतसिंह पुत्र विजयसिह
   जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी :—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
श्री श्रवण जांगिड वकील प्रार्थीगण

—:: आदेश ::— दिनांक :—11.01.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जेठन्तरी तहसील समदडी की खसरा संख्या 903/720, 904/720, 905/720, 906/720, व 939/720, 941/720, 958/720 मुल खसरा संख्या 902/720 प्राथीगण के खातेदारी की है। नामान्तरकरण संख्या 770 के अनुसार खसरा संख्या 902/720 में से समर्पण करने से खसरा संख्या 938/720 रकबा 0.08 बीघा का रास्ते के रूप में समर्पित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया। राजस्व कार्मिक ने सेग्रीगेशन के दौरान त्रुटिवश आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ के अनुसार इन्द्राज न कर नक्शा परिशिष्ट ब अनुसार दर्शा दिया जो एर्र ऑफ फेस ऑफ रिकोर्ड है। अतः प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की खसरा संख्या 938/720 में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई।

हमने वकील प्रार्थीगण की ब[illegible]न तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी [illegible] प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रिकॉर्ड [illegible] नामान्तरकरण संख्या 770 के अनुसार खसरा संख्या 902/720 मे [illegible] समर्पण करने से खसरा [illegible] 938/720 रकबा 0.08 बीघा खसरा संख्या 903/720 मे से समर्पण होने से खसरा संख्या 948/720 रकबा 0.02 बीघा का जो नामान्तकरण संख्या 770 के पुश्त भाग पर अंकित अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुआ किन्तु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.12 17:01:54 IST
Reason: SelfAttested

सेग्रीगेशन के दौरान खसरा संख्या 902/720 की मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार कर दी गई जिसे मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जेठन्तरी तहसील समदडी की खसरा संख्या 906/720 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 11.01.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.12 17:01:54 IST
Reason: SelfAttested